(Nos. 9 to 11) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 18 to 21) by Shri Binoy Viswam. The Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are six Amendments; Amendment (No. 6) by Shri Tiruchi Siva; Amendments (Nos. 12 to 14) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 22 and 23) by Shri Binoy Viswam. All the three Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are two Amendments; Amendment (No. 8) by Dr. John Brittas; and Amendment (No. 24) by Shri Binoy Viswam. Both the Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 6 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :
"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now, we move to the next important Bill, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. Hon'ble Minister, Som Parkash*ji* to move the motion for consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I move:

"That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

श्री उपसभापति : माननीय पीयूष गोयल जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; **उपभोक्ता मामले**, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री**; **तथा वस्त्र मंत्री** (**श्री पीयूष गोयल**) : उपसभापति महोदय, मुझे लगा कि आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों को इस बिल का थोड़ा परिप्रेक्ष्य मिले और मैं कुछ बातें यहां रख पाऊं, जिससे आगे की चर्चा भी सार्थक होगी। फिर अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया तो उतना ही जवाब देने का प्रयास करूंगा।

माननीय उसपभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 से प्रधान सेवक के रूप में केन्द्र में सत्ता संभाली है, तब से ही वे एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस देश ने वर्षों तक, दशकों तक बहुत पीड़ा उठाई है, देशवासियों ने और देश के छोटे-बड़े उद्योग या व्यापार जगत के लोगों ने वह पीड़ा उठाई है, चाहे वह ठेले वाला हो या सामान्य हॉकर हो या सड़क पर सेव-पूरी, पाव-भाजी बेचने वाला हो या कोई छोटा दुकानदार हो या कोई छोटी लेथ मशीन चलाने वाला हो या छोटा उद्योग चलाने वाला हो। साथ ही सामान्य नागरिक ने भी वह पीड़ा उठाई है। आप सबको याद होगा कि ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं के ऊपर, जिनमें गलती से भी कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन कर दे, तो उसके ऊपर बहुत तकलीफें आती थीं। उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता था, वहां पेश होना पड़ता था, कोर्ट में अपनी बातें वकील के माध्यम से रखनी पड़ती थीं और हो सकता हो कि अंततोगत्वा फिर कोई फाइन लगता होगा, लेकिन उस फाइन तक पहुंचने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ती थीं कि लोग परेशान हो गए थे। ऐसे ही अफसरशाही चलती थी और छोटी-मोटी गलतियों के लिए व्यक्ति को परेशान किया जाता था, जेल का डर दिखाया जाता था, उस डर के नाते उनके साथ जो व्यवहार होता था, मुझे लगता है कि उससे हम सभी suffer कर चुके हैं। इस लम्बे सफर में क्या-क्या होता था, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 से इस बात को प्राथमिकता दी कि सरकार भारत की जनता के ऊपर विश्वास रखेगी और विश्वास के साथ ही देश का कारोबार चलेगा, सरकार का कारोबार चलेगा। जब जनता के ऊपर सरकार का विश्वास होगा, तभी जनता का विश्वास भी सरकार के ऊपर होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गत 9 वर्षों में सभी मंत्रालयों को कहा कि एक-एक विषय की गहराई में जाएं, एक-एक कानून को जड़ से समझने की कोशिश करें कि उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फायदा-नुकसान होता है, किस प्रकार से लोग पीड़ा में रहते हैं। हां, अवश्य कई सारे ऐसे कानून हैं, जो आवश्यक भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जेल की सलाखों के पीछे भी भेजना पड़ सकता है। अगर किसी गम्भीर कानून का उल्लंघन हो तो अवश्य जेल का प्रावधान भी रहेगा। लेकिन जो छोटी-मोटी गलती होती है या कोई पहली बार गलती करता है तो उसको एक मौका दिया जाए, सुधरने का एक मौका दिया जाए कि वह आगे

गलती न करे। पेनल्टी के रूप में, फाइन के रूप में दण्ड हो, पर एक सरल व्यवस्था हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए गत 9 वर्ष में हम सबने देखा कि लगभग 1,500 कानून को रिपील किया गया। आप कल्पना कीजिए कि 1,500 laws को पूरी तरह से रिपील किया गया। कहते हैं कि ignorance of the law is no excuse, पर अगर laws इतने ज्यादा होंगे तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा वकील भी सब laws की जानकारी नहीं रख सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो पुराने laws थे, कई तो गुलामी के समय के और ब्रिटिश के समय के laws थे, उन सबको रिपील किया गया है। इसके साथ कंप्लायंस बर्डन है, जो सामान्य व्यक्ति को, छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योग चलाने वाले को, सूक्ष्म और लघु उद्योग चलाने वाले उद्योजकों को कानून के दायरे में जो प्रोसेस, प्रोसीजर और कंप्लायंस करने पड़ते थे, उसको सरल करना या कई केसेज़ में उसको निपटा ही देना-अगर हम इस काम को देखें, तो 40,000 कंप्लायंस बर्डन का सरलीकरण किया गया है या पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी कड़ी में एक तीसरी कड़ी जोड़ी, जो ऐसे कानून हैं, प्रावधान हैं, जिनमें छोटी-मोटी गलतियों को फाइन लगाकर सरल प्रक्रिया से छोड़ सकते हैं या एक, दो या तीन सुधार के मौके दे सकते हैं, तो उसमें भी हम विचार करें। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि लगभग 3,600 ऐसे प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज़ किया गया, उसके ऊपर जेल की एक तलवार लटकी रहती थी, उसको हटाया गया। ऐसे 3,600 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज़ करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। एक प्रकार से इन सब कामों से एक विश्वास जनता के बीच में पैदा हुआ है कि सरकार हमारी है, यह सरकार हमारे ऊपर विश्वास करती है, वास्तव में हमारे चुने हुए जन प्रतिनिधि हमारी सेवा करने के लिए सत्ता में आए हैं, हमारी चिंता करने के लिए सत्ता का काम करते हैं। यह प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है। इसे हम सिर्फ सरकार के दफ्तर में बैठकर नहीं बनाते हैं। इसकी चर्चा होती है, व्यापक लोगों के साथ, स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होती है, राज्यों के साथ कंसल्टेशन होती है। अलग-अलग विषय से संबंधित लोगों के साथ, चाहे अधिकारी हों, व्यापारी हों, जनता हो, उनसे फीडबैक लेकर सही मायने में लोकतंत्र की भावना को सामने रखते हुए कानूनों को डिक्रिमिनलाइज़ करने का प्रोसेस किया गया। वास्तव में प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता भी यह दर्शाती है और जो उनका एक विकसित भारत बनाने का उद्देश्य है, वह भी इसमें झलकता है। अगर हमें एक विकसित देश बनाना है, जैसा अभी बताया गया कि सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए और उसके लिए सबका विश्वास भी चाहिए, ये चारों तभी हो पाएंगे, जब यह दो तरफा हो, ताली दो हाथों से बजे। इसी में 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जब व्यक्ति कर्तव्य भावना से निर्वहन करता है, तो स्वाभाविक रूप से वह कानून तोड़ना नहीं चाहता है। वह कानून के दायरे में अपना काम करना चाहता है और कानून के दायरे में काम करते हुए अगर छोटी-मोटी गलती हो, तो हम सब लॉ मेकर्स का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम भी जनता पर विश्वास रखें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कितने बढ़िया नाम का हमें सुझाव दिया! कानून बनते रहे, कानून में अमेंडमेंट्स होते रहे, लेकिन वह एक साधारण सा नाम सालों साल चलता रहता था, टिपिकल नेम, जैसे ई-कामर्स है, तो ई-कामर्स लॉ कह दिया। ऐसे अलग-अलग कानून चलते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कानून के नाम में दर्शाना चाहिए कि किस

भावना से, किस विश्वास के साथ जनता के समक्ष गए हैं, तो उन्होंने 'जन विश्वास' नाम दिया। यह कितना अच्छा मैसेज लेकर जा रहा है। हालांकि जो कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने इस बिल के ऊपर बेहतरीन काम किया है, किंतु यह दुर्भाग्य की बात है, कई बार इसमें भी राजनीतिकरण होता है। हमने कमेटी को दिसंबर, 2022 में यह बिल दिया था और यह कहा कि अगले सेशन के पहले हफ्ते में रिपोर्ट करें। मैं चौधरी साहब को बधाई देना चाहूंगा, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे और सभी माननीय सदस्यों को भी बधाई देता हूं। इस ज्वाइंट कमेटी के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों ने बहुत गहराई के साथ इस बिल को देखा और हमें बहुत बढ़िया और बेहतरीन सुझाव दिए। हमने लगभग सभी सुझाव एक्सेप्ट किए। उसमें भी कैसे छोटी-मोटी राजनीति की जाती है, यह देखकर बड़ा दुख होता है। एक माननीय सदस्य जो बहुत प्रमुख विपक्षी दल से आते हैं, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन, डिस्सेंट यह रेज़ किया "Long title of the Bill contains two Hindi words 'Jan Vishwas' which is not as per constitutional mandate." उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको हिन्दी से कोई परहेज है? क्या हिन्दी शब्द होने में उनको कोई हीनता लगती है? क्या हिन्दी शब्द से देश के कानून में कोई कमी हो गई? क्या अंग्रेजी में जो कानून बने, उनको केवल वही कानून पसंद है? इसका जवाब कभी न कभी देश के 140 करोड़ लोग पूछेंगे। कानून का अनुवाद तो हरेक भाषा में होता ही है, वह अंग्रेजी में होगा, तमिल में भी होगा, तेलुगु में भी होगा। सारे कानून सभी भाषाओं में उपलब्ध रहते ही हैं। अगर ऑब्जेक्शन भी किया, तो हिन्दी शब्द के प्रयोग में किया गया। बिल में हिन्दी शब्द जन विश्वास प्रयोग होने के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ करना, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से बहुत ही गुलामी वाली मानसिकता की सोच का दर्शन विपक्ष के माननीय सदस्य ने दिया है। तीन माननीय सदस्यों ने छोटे-मोटे डिस्सेंट नोट्स दिए हैं। तीन अलग-अलग पार्टी के सदस्य थे, लेकिन जब मैं उनके डिस्सेंट के विषय देखता हूं, तो ध्यान में आता है कि वे तो आज भी चाहते हैं कि आप जनता पर विश्वास मत करो। तीनों पार्टीज़, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और डीएमके के तीन डिस्सेंट नोट्स हैं। अगर आज वे हाउस में रहते और अपने डिस्सेंट को उजागर करते, तो मैं और विस्तार से जवाब भी देता। उपसभापति जी, मैं आपका, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का और देश का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके डिस्सेंट से साफ जाहिर होता है कि ये न तो देश की जनता पर विश्वास करते हैं, न देश के छोटे कारोबारियों पर विश्वास करते हैं और न छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्योग चलाने वालों पर विश्वास करते हैं। इनके मन में तो हीन भावना है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करे या उद्योग चलाए, तो वह जरूर चोर होगा। यह भावना इनके इस डिस्सेंट में झलकती है। क्या देश ऐसे चलेगा? क्या यह देश ऐसे विकसित देश बनेगा? क्या नौकरियां ऐसे उत्पन्न होंगी? क्या हम सभी को चोर करार करके कानून बनाएं? माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी जनता पर विश्वास करते हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी और हमारी जो पूरी व्यवस्था है, वह छोटे कारोबारों पर विश्वास करती है, छोटे दुकानदारों पर विश्वास करती है और उन्हें विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोग मूलतः ईमानदार हैं। कभी गलती हो जाए, यह बात समझ में आती है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत काम किए भी हों, कुछ लोगों ने सोच-समझकर किए हों, लेकिन उन छोटे-मोटे एक miniscule minority की वजह से हम देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर अविश्वास

नहीं कर सकते हैं। हम कुछ लोगों की गलतियों के लिए 140 करोड़ लोगों के ऊपर समस्या और कठिनाइयां नहीं थोप सकते हैं। इस भावना को सामने रखते हुए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ एक बिल में सभी मंत्रालय, जो whole of the Government की, प्रधान मंत्री जी की अप्रोच है, सरकार के अलग-अलग 19 डिपार्टमेंट्स एक साथ एक कानून में जुड़कर यहां पर आए हैं। पार्लियामेंट के 42 ऐसे अलग-अलग कानून हैं, जिनमें एक साथ संशोधन लाए गए हैं। इसमे 183 प्रोविज़न्स हैं, हम तो 182 प्रोविज़न्स लाये थे, हमें कमेटी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, जिसे स्वीकार करके अब 183 प्रावधानों पर de-criminalisation करने का काम इस एक ही बिल के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिये, गाइड किया, उससे हमारा सोचने का ढंग बदला, मानसिकता बदली। ऐसा करने से सरकार और देश दोनों की मानसिकता बदली है कि देश विश्वास पर चलेगा, देश एक-दूसरे पर विश्वास करेगा। जनता सरकार पर विश्वास करती है, जनता ने जो ऐतिहासिक विश्वास किया है, वह लगातार 2014 और 2019 में किया है और अब तो जो स्थितियां दिख रही हैं, विपक्ष की जो कमजोरियां और विफलताएं नजर आती हैं, उससे तो लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि फिर एक बार देश की जनता तीसरी बार प्रधान मंत्री जी को पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर लाने वाली है। उन्होंने तो मन बना लिया है कि अब तो हमें शायद हाउस के बाहर ही बैठना है और वे चर्चा से भी भागते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में 183 अलग-अलग प्रावधानों का सरलीकरण, de-criminalise और जो जेल का फंदा सामान्य आदमी के ऊपर पूरे समय लगा रहता था, उसको निकालने का काम एक बिल के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, उनका मैं डिटेल में जिक्र नहीं करूंगा और उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों के विचारों को सुनूंगा। जो छोटी चीजें हैं, जैसे traffic का छोटा सा violation होता है, उसके लिए भी पहले ड्राइविंग लाइसेंस दो, फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट में कभी तारीख लग जाये तो धक्के खाओ, वकील रखो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस लो। कोर्ट भी क्या करता है, एक फाइन लगाता है। उसके बदले वहीं पर हम उसे compoundable offence कर दें और वहीं पर वह पेनल्टी लग जाये, तो कितना सरल हो जाता है। इसी प्रकार से कोई गाय को लेकर, cattle को लेकर चारा खिलाने के लिए लेकर जाता है, उसके ऊपर भी 6 महीने की सजा है। सोचिए, छोटे किसान को 6 महीने की सजा होती है, सिर्फ उसकी गाय चरने के लिए इधर-उधर चली गई, तो उसमें भी 6 महीने की सजा होती है। ठीक है गलती हो गई, गलती तो गाय ने की, अब उस गाय की गलती के लिए हमारे किसान भाई-बहन को जेल के अंदर डालोगे! उसके बारे में हमने कहा है कि इसके बजाय 500 रुपये की एक पेनल्टी लग जाये, क्यों किसान को कोर्ट में जाना पड़े, क्यों कोर्ट के धक्के खाने पड़ें, क्यों वकील की फीस पे करनी पड़े? अब अगर कोई वकील माननीय सदस्य हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपके काम को थोड़ा कम कर रहा हूं। लेकिन एक नागिरक के नाते, एक कानून बनाने वाले माननीय सदस्य के नाते ...(**व्यवधान**)... आप नहीं मानोगे। हां, मैंने Chartered Accountancy भी पढ़ी है और law भी पढ़ा है, मैं तो दोनों तरफ से मार खा रहा हूं। परंतु देश की जनता सर्वोपरि है, देश की जनता की चिंता करना हम सब का धर्म है, हम सब का दायित्व है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की दिशा और देश की दशा को बदलने का बीड़ा उठाया है। देश को एक विकसित देश बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए यदि हमें कठोर

से कठोर काम भी करना पड़े, तो हम करेंगे, हमारे देश हित और जन हित सिर्फ यही दो धर्म रहेंगे। हमारी सरकार ने उस धर्म का पालन करते हुए इस जन विश्वास बिल को इस सदन के समक्ष पेश किया है, धन्यवाद।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved. There is one Amendment by Dr. V. Sivadasan for reference of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, as passed by the Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. He is not present. Amendment not moved. The motion for consideration of the Bill is now open for discussion. I now call upon the Members, whose names have been received, for participation in the discussion. Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I am so glad that I got to speak on this Bill on behalf of my Party, Biju Janata Dal, because (a) I was part of the Joint Parliamentary Committee to which this Bill was referred to and (b) I firmly believe that this is one of the finest examples of sound public policy. I completely endorse Hon'ble Minister Piyush Goyal *ji*'s optimism that he shared and the objectives of the Bill which he so eloquently outlined with impressive facts and examples. He has already given some context. I would like to supplement and add a few more things to the context which will tell why this is such a forward-looking Bill.

Sir, this Bill has three key objectives. First is, ease of doing business. Second is, ease of living for the common citizen of this country. And the third is, to reduce the burden on our courts. Every year, the World Bank brings out a report called 'Ease of Doing Business Report'. In the year 2013, India was ranked very low at 132 out of 185 countries in the 'Ease of Doing Business Report' which improved to 63 in the year 2020 for which the report is available. It was a very impressive jump from 132 in the year 2013 to 63 in the year 2020. I sincerely compliment this Government for bringing many path-breaking reforms which have helped us to make this quantum jump from 132 to 63. But, we could have been in the top 30, and not 63. There is one area where we seriously lag behind which is the enforcement of contract. It is pretty much impossible today in our country to enforce a contract. I would not go into arbitration and other things because that is a different thing. But we have a funny situation where two Indian entities are arbitrating in a third country because it is difficult to enforce a contract in our country. Though the pictures are rosy, there are some elements which are still a concern for us. I would like to mention a report by Observer

Research Foundation (ORF), which is one of the leading think-tanks of our country. The report is titled 'Jailed for doing business'. This was published in the year 2022. This highlights that there are 1,536 laws in our country that govern businesses. Sir, you have heard it correctly. There are 1,536 laws in our country that govern businesses and more than half of the laws have imprisonment clauses. This means over 750 to 800 laws which govern businesses in our country have imprisonment clauses which can land a businessman or an entrepreneur in jail. On an average, there are about ten changes in our regulations or compliances on a daily basis. As Hon'ble Minister was saying, ignorance of law is no excuse. Our entrepreneurs are expected to keep tabs on all these changes on a daily basis instead of focussing on their business. You know that the consequences of criminal liability are immense. It has a huge impact on a person's liberty. If a person is put in a jail in our country, you know what a big social taboo it is. A person's social status is almost decimated if he spends a day in jail even for a minor offence. There is another element in criminal jurisprudence, in criminal law. It is called *mens rea* which means criminal intent or a guilty mind and that is paramount and that constitutes a crime. But in our country, entrepreneurs or businessmen are often jailed for very petty offences when they don't have any intention of committing the crime. It may be unintentional, ignorance of law or minor lapses. This is because of the narrative that has been prevalent for decades that wealth creators are evil. Wealth creators are equated with hardened criminals in our country which is so unfortunate. They create wealth for the nation. They create jobs for the nation and they are equated with hardened criminals. This affects our MSMEs and our start-ups the most. On an average, today an MSME or a start-up in India has to spend about ten lakh rupees a year just on compliances. Ten lakh rupees for a start-up! We all know that MSMEs are the mainstay of our economy. They create jobs. They provide employment to our youth. If this is the state of affairs of our MSMEs, then it is a concern. We can come out with many schemes, many incentives for the MSMEs. Unless we tackle this 'regulatory cholesterol', I don't think we will go too far. Who are the greatest beneficiaries of all this? The Hon'ble Minister mentioned lawyers, chartered accountants, company secretaries, etc. They are the ones who are doing legal angioplasty; they are the ones who are providing regulatory stents to cleanse this regulatory cholesterol. So, this is the context in which this Bill has been brought in. Hence, I really believe that this is one of the most forward-looking Bills.

Sir, I spoke about 'ease of doing business'. Let me quickly tell you that this Bill also brings 'ease of living' for our citizens. It is a loud statement that we trust our

citizens. As the Hon'ble Prime Minister had said, 'minimum Government, maximum governance', this is the Bill which talks of minimum Government and maximum governance. It reduces the burden of judiciary. We all know what the state of courts is. We all know that there are over 4.5 crore cases pending in our courts -- the lower courts, the High Courts and the Supreme Court. Today, we have a situation where we are unable to compound our offences. Even though two parties are interested in settling the disputes, the law does not allow them to do so. This Bill envisages settlement of a large number of issues through compounding, and it also converts many fines into penalties. Fines are adjudicated by courts; penalties are imposed by an adjudicating authority from the executive. So, this will de-clog our courts and help common citizens of our country and courts to save time, resources and energy.

Sir, there are some critics who have raised concerns that removing imprisonment as punishment for offences and converting fines to penalties might embolden the unscrupulous elements. I would like to allay these concerns by pointing out that the Bill has significantly increased the penalties as compared to low fines. There are fines like Rs.10 or Rs.100 in the statute books in our country. It is meaningless and basically a joke. This Bill has significantly increased the penalties to manifold instead of having such low fines, which, I think, will be a deterrent. Also, the Bill proposes to increase fines and penalties for some offences by ten per cent after the expiry of every three years from the date of the commencement of the proposed Act. So, I think, these are the reasons why the concerns of the critics are not justified. Also, none of the 'grievous offences' have been decriminalized. All the 'grievous offences' will continue to be on the statute book like IPC and other statute books. They will continue to be there.

Sir, I would like to point out 2-3 things for the consideration of the Hon'ble Minister. The Bill omits all offences under the Indian Post Office Act of 1898. This includes the unlawful opening of the postal articles. If the postal staff or any other person opens any postal article, that will be a serious invasion into the privacy of the person who has dispatched the article or of the person who is supposed to receive the article. So, I think, this should not have been omitted, particularly given that there is no punishment for this even in the IPC. And also, given that, in 2017, the Hon'ble Supreme Court had said that right to privacy is a fundamental right. So, in that context, I think, the offence of unlawful opening of postal articles should not have been removed from the statute book. Then, the Bill creates an Environmental Protection Fund for creating awareness, education and research related to protection of environment. I don't understand why it is there in this Bill. The State Pollution

Control Boards and the Central Pollution Control Board also have the provision of fund for environmental education. I think this is an unnecessary overlap. I think this could have been done away with.

Sir, the adjudicating officers who will be responsible for awarding penalties may not have the necessary competence or the judicial bent of mind to decide on penalties. It requires a certain judicial discipline; it requires a certain judicial way of thinking. Also, in many cases, the Government itself is a party. We all know that the Government is the biggest litigant in our country. So, when you have Government as one party and an officer of the executive as the adjudicating authority or officer, we don't expect him or her to rule against the Government. So, I think, impartiality also might be affected. But, overall, it is a very forward looking Bill. I would end with a few suggestions and would request the Hon'ble Minister and the Government to look into them. Not only 189 provisions across 42 Acts of 19 departments, we still have hundreds of other provisions in various other statute books which need to be reviewed and relooked at. So, the Government should come up with an SOP which would have a periodic review of all such laws. All the old and obsolete laws, which Hon'ble Minister was talking about, need to be reviewed periodically. So, an SOP is needed for this. In future also, the Government should come up with a similar legislation to do away with our old and obsolete laws. The reverse also is true. Today, the social norms have changed. Today, there is an influx of technology in our lives. It means that there are such offences which were petty in older times but today they have become very serious grievances. So, this necessitates that certain offences might call for a higher punishment. Therefore, I think, the reverse also is true.

Thirdly, the Bill should have a retrospective effect so that the pending legal proceedings, in respect of the offences being decriminalized, might be abated.

Finally, the Government should urge and issue an advisory to all the State Governments to have a relook at their own State laws on similar lines so that the State laws also, which are old and obsolete, can be done away with from our statute books and also decriminalized in appropriate cases. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Masthan Rao Beeda.

SHRI MASTHAN RAO BEEDA (Andhra Pradesh): Thank you, Hon'ble Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this very good Bill. I am glad to mention that I was one of the members on the Committee on the Jan Vishwas

(Amendment of Provisions) Bill, 2023. I rise to support this Bill on behalf of our Hon'ble Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy and our Party, Y.S.R. Congress Party. The decriminalization of financial crimes has become a topic of significant debate worldwide. Decriminalization involves reducing the severity of legal consequences for such offences, often by changing them from criminal to civil or administrative violations. This Bill is a step in the right direction and would certainly help India in improving the ease of living for the people as well as our Ease of Doing Business rankings.

About efficiency in the criminal justice system, one of the primary arguments in favour of decriminalization is the potential to improve the efficiency of the criminal justice system. By shifting financial crimes to civil or administrative enforcement, law enforcement agencies can concentrate their resources on more serious criminal offences. This approach can help streamline investigations and expedite resolution processes, ensuring a more effective allocation of limited resources.

Regarding focus on restitution and compensation, decriminalization may provide an opportunity to emphasize restitution and compensation for victims of financial crimes. Civil or administrative proceedings can be designed to prioritize the recovery of damages and financial losses suffered by individuals and entities affected by these offences. This approach might lead to quicker and more substantial compensation for victims compared to lengthy criminal trials.

About encouraging self-reporting and cooperation, some proponents argue that the fear of criminal prosecution can deter individuals and corporations from self-reporting or cooperating with authorities when financial crimes occur. Decriminalization could create an environment where entities are more willing to come forward, disclose violations, and cooperate with regulatory bodies, thereby enhancing detection and prevention of financial crimes.

Regarding mitigating overcrowding in prisons, decriminalization might help alleviate prison overcrowding caused by non-violent offenders convicted of financial crimes. By diverting these cases to civil or administrative proceedings, the criminal justice system can focus on addressing more dangerous criminals, potentially leading to a more efficient and humane imprisonment system.

The negatives of the Bill are these. Regarding inadequate punishment for serious offences, financial crimes can have severe consequences on individuals, businesses and the economy. Reducing the legal consequences of these offences might not adequately punish wrongdoers, potentially leading to a perception of leniency and a lack of accountability. Small crimes can add up to and be a part of a

larger crime, such as large-scale fraud or money laundering can cause significant harm to the society. In such situations, criminal penalties are more appropriate in such cases. Can the Hon'ble Minister explain the reason for choosing these specific laws and not others and the parameters behind it?

Regarding potential for impunity, the absence of criminal charges could also reduce the repetitional damage that comes with criminal convictions, further lowering the incentives for compliances. There could be a perception among the public that certain offences are no longer taken seriously by the authorities, potentially eroding trust in the legal system.

About challenges in enforcement and collection, civil or administrative enforcement of financial crimes could present challenges in enforcing judgements and collecting fines. Some offenders may attempt to evade restitution payments or financial penalties, making it harder for authorities to hold them accountable for their actions.

Regarding impact on marginalized and vulnerable populations, imposing fines may disproportionately affect marginalized and economically vulnerable populations due to their limited financial resources. Lack of access to legal representation can further hinder their ability to defend against fines or understand regulations.

Sir, decriminalization is a complex and contentious issue that requires careful consideration of its potential impacts. Ultimately, the goal should be to strike a balance between punishment, restitution and prevention, while ensuring accountability and justice in case of financial misconduct.

The Bill's impact on enhancing the 'ease of living and doing business' will largely depend on its effective implementation and ongoing stakeholder engagement.

So, I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account. With this, the YSR Congress Party supports this Bill. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am supporting the Bill introduced by our Hon'ble Minister. I also appreciate him because he has referred to the Joint Parliamentary Committee and its suggestions have also been considered. That is why, I, highly, appreciate the intention. The intention of the Bill is good to solve the problems and for the economic development, as the Prime Minister of India is expecting, it has to come. With that good spirit, the Bill has been brought by the Hon'ble Minister, and I am appreciating it. Regarding the language what he told, I would like to mention regarding that. It is because, today, in the morning, in

Question Hour, the Education Minister said, "Towards the promotion of all Indian languages." In the same way, now, the NDA Government instructed all the State Governments to impart education in their mother-tongue, in the 14 languages. I appreciate it. That is in good spirit. That is a federal structure and that is what the Hon'ble PM expects. That is also a good spirit. But, what he said regarding the name '*Jan Vishwas*', some Members objected to it. He said that it is the British mindset that still continues. We are still sitting in the British building, I mean, who constructed this building. We are still going on from here. We could not move even into that though a new Parliament building has come. We are still in the British period as we have to follow certain things. But when you are putting it in the language, legislative note on *Jan Vishwas*, you are putting that also in English. Legislative notes are in English only; the amendments are also in English only. Why cannot you put English translation in that? You put it in Hindi, I have no objection. Somebody could have raised, means it is a federal structure. We are not for Britishers. We are for our culture, our language; we are for that. I am representing AIADMK Party. AIADMK Party represents certain cultural things, which defends Tamil culture, everything. Our Prime Minister is there. In the Indian history, no Prime Minister has come forward to appreciate our language, our ancient language wherever going. Throughout the world, even in UNO also, he appreciated that language. We are appreciating because that is the spirit of the thing. In the same way, I am also saying, when you are bringing certain legislations, you are bringing in Hindi. That is your right. We are not objecting to that; that is there. At the same time, when your Minister said that you are promoting all the languages of the Eighth Schedule, the Eighth Schedule has nearly 23 languages now. When the founder of our movement, Anna was sitting on that side in Rajya Sabha, at that time, the language issue came. When he defended certain language issues, Vajpayee*ji* was here and he asked Anna, "Are you defending British people for just English language?" Anna said, "I am not defending British. I am defending my language, Tamil language, Tamil culture." I am speaking like the way he spoke on that day. Therefore, we want our all Eighth Schedule languages to be made official languages in India. We fought for freedom. Today, the Minister said in the morning that they are promoting all the languages. In the same way, I am requesting the Hon'ble Minister that the Union Government has to come forward to make Tamil, Telugu, all the languages official in the country. What is wrong in that? Nowadays, so many digital systems have developed. Translation can easily come. Therefore, it is not a big thing. You are telling that you can speak in mother tongue in the Parliament. Therefore, what our Minister said, he must take it in good intention,

not otherwise that we all are defending the British people. But we are for our Indian culture, Indian language. Therefore, the Bill that has been introduced by the Minister, I am appreciating that because small issues cannot be taken as seriously and we fight, that will create a lot of problems. As our Hon'ble Member said that instead of courts, the executive authorities are now involving in this, that penalty is going to be more. Then it will become more cumbersome. There cannot be any corruption in settling those issues. They cannot dictate Panchayats as to what is going on. Therefore, in that respect, I request the Hon'ble Minister to look into this matter and I, along with my party, support this Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Sir. I stand to support this Bill which is historical and I feel proud to be a part of passage of this Bill. 2014 में जब से हमारे लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जनादेश प्राप्त किया है, तब से लेकर अब तक, नौ सालों में पूरे देश भर की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जनता को विश्वास में लेते हुए काम किया है। वे कोरोना कालखंड में 140 करोड़ की आबादी को विश्वास में लेते हुए जिस तरह से कोरोना से निपटे, उससे अब हम जनादेश से लेकर जन विश्वास तक आ गए हैं। 'जन-विश्वास' के नाम पर काफी चर्चा हुई। मैं दक्षिण से आता हूँ और अपने को गौरवान्वित मानता हूं कि यह 'जन' और 'विश्वास' शब्द कुछ अलग नहीं हैं, ये तेलुगु में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। सर, 'जन' का मतलब है जनता और 'विश्वास' का मतलब है सभी का विश्वास प्राप्त करना। That is why, I strongly believe and, irrespective of my caste, creed, region, religion, language, I feel proud to be called as 'Indian' first. इसीलिए हम मानते हैं, nation first, party next.

श्री उपसभापति : डा. के. लक्ष्मण जी, one minute. मुरलीधरन जी, छः बज रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are into the discussion of the Jan Vishwas Bill, which is a very forward-looking legislation and a very comprehensive one, which will ensure good governance also. And, all the Members are interested in seeing that this Bill is discussed and disposed of today. So, till then, we will continue the Session.

श्री उपसभापति : क्या सदन की सहमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री उपसभापति : माननीय के. लक्ष्मण जी, you can continue now.

डा. के. लक्ष्मण : जैसा कि अभी हमारे मंत्री महोदय श्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमारे प्रधान मंत्री सबसे ज्यादा दक्षिण को महत्व देते हैं। चाहे काशी-तमिल संगमम् की बात हो या पार्लियामेंट के नये भवन में सेंगोल के हमारे तमिल कल्चर की बात हो, उन्होंने उसे प्रभावी रूप में पूरे देश और दुनिया को बताया। इसलिए इसमें कोई भेद-भाव नहीं है। जन विश्वास का जो यह बिल लाया गया है, मैं मानता हूँ कि इसका नॉमेनक्लेचर भी बहुत बढ़िया है।

Anyway, coming to the point, by bringing this Bill, the Government is bringing in the concept of Jan Vishwas by reposing faith in the people of our country and removing compliances, burdens, and decriminalizing very minor offences. Our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi*ji's* vision is 'Minimum Government and Maximum Government', वे इसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। The Bill shows the commitment of Modi Government to keep bringing in reforms which will reduce overall burden of compliance for business and citizens. Removal of these roadblocks will help India to achieve its aim of 5 trillion economy. This is the dream of our Prime Minister, Modi*ji*. And, in spite of all odds of Corona, on the one side, and Ukraine War, on the other side, still India is supposed to be the fifth largest economic country in the world, but for the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Narendra Modi*ji*. As rightly pointed out by our Hon'ble Minister, when Narendra Modi*ji* attains third term as the Prime Minister, he assured that India is going to become the third largest economic country in the world. This is the guarantee of Modi*ji*. मोदी जी की यह गारंटी है कि यह देश एक दिन दुनिया के अंदर तीसरी आर्थिक ताकत जरूर बन जाएगा। यही हमारा विश्वास भी है। Sir, as far as this Bill is concerned, 'Ease of Doing Business', as rightly pointed out by my colleagues, is to ensure that India can leash her entrepreneurial spirit and ensure that youth can now become job-creators rather than job-seekers. Modi*ji* always wants the youth of this country who are educated and qualified, to become job-creators. हमारे नौजवान रोजगार माँगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, यही हमारा सपना है। इसी के माध्यम से आज दुनिया के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा स्थान 63वाँ है। वर्ष 2014 से पूर्व वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा स्थान 142वाँ था, now, we have attained 63rd rank. We feel really proud. यह 'Ease of Doing Business' का महत्व है। Now, in respect of 'Ease of Living', PM Modi*ji* has a single-minded focus on ensuring that citizens can enjoy hassle-free governance with Government being an 'enabler' rather than 'inhibitor'. इसी कारण आज हमारे मोदी जी तथा माननीय मंत्री महोदय यह बिल लेकर आए हैं। If you would recall, one of his first decisions after becoming Prime Minister in

2014, was that he allowed for self-attestation of documents. It has brought a radical change. As rightly said, by 'One Nation, One Tax', Modi*ji* Government also was instrumental in bringing GST. ...*(Time-bell rings)*... I will take just five more minutes to complete. GST now is an historical decision, we feel proud of it. Now, there is the highest collection, Rs.1,80,000 crores in the month of April. Now, we are getting Rs. 1, 50,000 crores on an average, as GST. Some people have criticised it, when the GST was brought in. A few days ago, around Rs. 6.77 crores worth of Income Tax Returns (ITRs) were filed. This is a record growth of 16.1 per cent year-on-year. In the past nine years, Modi*ji's* Government has repealed approximately 1500 redundant laws.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. LAXMAN: Sir, just last point. Under this Act, as rightly pointed out, even from the State from where I come, the State of Telangana, there are many such cases. हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो छोटे-छोटे आदिवासी हैं, जो forest areas में खेती-बाड़ी करते हैं, जो मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करते हैं या फल-तरकारी की खेती-बाड़ी करते हैं। ऐसे खेती-बाड़ी करने वाले लोगों के ऊपर आज भी इतने क्रिमिनल केसेज़ बनाए गए और काफी लोग जेल भेजे गए। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से तेलंगाना के आदिवासी भी ज़रूर खुश होंगे। ...*(Time-Bell rings)*...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

DR. K. LAXMAN: Sir, one last minute.

श्री उपसभापति : आपने ज्यादा समय ले लिया है।

डा. के. लक्ष्मण : हमारे जो आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन पर आस्था रखते हैं, इस बिल के माध्यम से उनके हित में काम होगा। इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे हमारे बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात करने वाले हमारे विपक्ष के साथी आज छोटे-छोटे उद्योगों के लिए, छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह जो बिल लाया गया है...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

डा. के. लक्ष्मण : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में एमएसएमई में छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए सुविधा होगी। अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो

अंत्योदय फिलॉसिफी है, वह सिर्फ धनवान उद्योगपतियों और संपन्न लोगों के लिए नहीं रहेगी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर छोटे-छोटे किसानों और व्यापारियों के हित में काम करने के लिए होगी, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I draw the kind attention of the Leader of the House who is busy in talking with somebody. Hon'ble Leader of the House, Sir, I draw your kind attention.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): I am taking some guidance.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I, on behalf of my party, and my leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy, rise to support this Bill. I will take only two minutes, as I have only three points to make. Sir, we need to have a very comprehensive decriminalisation law. I appreciate the Hon'ble Minister for bringing this Bill which decriminalises a large chunk of minor offences and replaces them with the penalties. So, it is very important. We really appreciate it. The point which I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister is the data shows that number of imprisonment cases in the State laws not in the Central Laws; this Bill deals only with the Central Laws. But, State laws are almost four times as compared to the Central laws. So, there is a need to conduct a massive decriminalisation drive even at the State level. While the Centre cannot possibly bring the Amendments to the State laws because Centre does not have the jurisdiction, it can, certainly, lay the standards to guide the law-makers in the respective States to decriminalise and bring the Amendments in the State laws also. This task, according to me, can be entrusted to the Law Commission which can suggest to the States to bring the necessary Amendments as is brought by the Central Government.

The next point which I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister is that ease of living and ease of doing business cannot be based just on decriminalisation. There is a need to ensure greater compliance certainty for the public. It is estimated that there are 3500 regulatory changes taking place every year. Suppose, if I want to know what regulatory changes are taking place today, I will not be able to know unless I go through a number of websites of respective Ministries, maybe around 30, 40 or 50. Suppose, 3500 regulations are there, this means, 10 regulations per day on an average, it is impossible for any human being to know the regulatory changes that are taking place every year.Therefore, I request the Hon'ble Minister to have an integrated ease of living database where all regulatory changes are

incorporated in one app and one regulatory database so that the people come to know what regulatory changes have taken place in the country at the Central-level. Sir, I know that for States, it is a separate subject.

On criminal negligence, Shri Sujeet Kumar pointed out the risk of being convicted for criminal acts as a deterrent mechanism, forcing the industries to comply with the governmental standards. In fact, he suggested that because of this deterrence, decriminalization moves may result in non-compliance. That is the general perception pointed by Shri Sujeet Kumar, because large penalties will ultimately deter the persons. I do agree with him. The last point I would like to bring to your notice as well as to the Hon'ble Minister's notice is the introduction of sunset clauses. Sunset clause is a tool that terminates application of certain clauses in laws, or regulation at the pre-determined time. Whenever we bring in a provision in an Act, we can stipulate the time of application by incorporating sunset clause, after which time the clause is to be continued only for a limited period of time. There has to be a legislative scrutiny then. Such a sunset clause can be incorporated. This is done with an aim to ensure that the laws keep up with the changing needs of the society and don't become outdated. Sir, I suggest to the Government and the Hon'ble Minister to consider putting up sunset clause whenever there is a change or amendment introduced in the legislation. Thank you very much, Sir.

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने कहा कि कुछ सदस्यों को नाम से आपत्ति थी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि विधेयक के नाम से नहीं, विपक्ष के काम से जनता को आपत्ति है। यह विधेयक मोदी जी की प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाता है और उनके प्रति जनता के अपार के विश्वास को दर्शाता है। यह एक परिवर्तनकारी शासन का प्रतीक है। यह सुशासन के प्रति मोदी जी की निष्ठा का परिचय देता है। एक umbrella के कानून के तहत, 42 कानून में 183 प्रावधानों के विधेयक के माध्यम से जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाला एक परिवर्तनकारी कानून है। मैं भी उस संयुक्त कमेटी का सदस्य रहा, जिस कमेटी ने पी.पी.चौधरी जी के नेतृत्व में काम किया। कमेटी ने बिल के प्रावधानों के संबंध में 97 सुझाव दिए और उन सभी को सरकार ने स्वीकृत भी किया। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ सात सामान्य सुझाव भी दिए हैं। आगे इस कानून के पालन के बाद, इसकी अनुमति के बाद किस प्रकार की कार्रवाई सरकार के द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए ऐसे सात सुझाव दिए थे, जिनमें से सरकार ने छह सुझावों को मान भी लिया है। उसमें दो-तीन बहुत ही विशेष सुझाव हैं। एक सुझाव यह है कि यह विधेयक 42 कानूनों का संशोधन करने वाला विधेयक है। ऐसे सैकड़ों कानून हैं, जिनमें इस प्रकार के अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। सरकार ने यह सुझाव मान लिया है कि आगे वह इस प्रकार की कार्रवाई को, इस प्रकार की

प्रक्रिया को जारी रखेगी, लेकिन इसमें मंत्री जी, वे सदन के नेता भी हैं, तो अगर वे सरकार की तरफ से क्या विचार है, इस पर रोशनी डालेंगे, तो मैं मानता हूं कि बहुत ही लाभदायी होगा।

दूसरा, हम यह केंद्र सरकार के कानूनों की अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में हज़ारों ऐसे कानून हैं और राज्यों में भी कानूनों को संशोधन करने की, उनको बदलने का एक सुझाव कमेटी ने दिया था, तो इसको लेकर आगे सरकार के क्या विचार हैं? यह बिल्कुल पूरे देश के लिए लाभदायी साबित होगा। इसके अलावा देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, यानी व्यापार करने में आसानी है। 2014 में विश्व में भारत की रैंकिंग 142 थी और 2019 में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होकर 63 हो गई थी। ऐसे करीब 40,000 अनावश्यक अनुपालनों को, कम्प्लाएंसेज़ को पिछले नौ साल में मोदी जी की सरकार ने हटाया था, खत्म किया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था के दसवें नम्बर से पांचवें नम्बर पर पहुंचने में ऐसे रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम संशोधन के जरिए, जो विधेयक पारित करने वाले हैं, इसका भी बहुत दूरगामी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण, आर्थिक सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में 7 परसेंट जीडीपी की ग्रोथ हुई है। विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। इसके लिए ऐसे आर्थिक सुधारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में हुआ है, जो 85 यूएस बिलियन डॉलर्स है। आज हम जो विधेयक को परित करने वाले हैं, यह बहुत ही बड़े आर्थिक सुधार की तरफ कदम है।

दूसरी बात यह है कि केवल व्यापार को ही सरल नहीं बनाना, बल्कि आम जनता के जीवन को भी बेहतर बनाना इस कानून का एक लक्ष्य है। उसमें सरकार ने यूपीआई के माध्यम से जो पहल की है, वह भी एक बड़ा कदम है। यह इससे पूरी तरह संबंधित नहीं है, लेकिन वह भी एक बड़ा बदलाव है। भारत में 15,468 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन्स पिछले छह वर्षों में हुई है। विश्व की जो सारी ट्रांजैक्शन्स हैं, उसमें से करीब 40 प्रतिशत केवल भारत में हो रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में ऐसे सुधारों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत ने अमृत काल में जो प्रवेश किया, उस अमृत काल में सही लक्ष्यों को हासिल करने में इस विधेयक और इसके बाद होने वाले और संशोधनों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जन विश्वास में मोदी जी का विश्वास है। वे जन विश्वास के प्रति ही चुनाव जीतते रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। धन के प्रति विश्वास रखने वालों के लिए ...(**समय की घंटी**)... यह बहुत ही निराशाजनक साबित हो सकता है। मैं यह बात कहते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं।

SHRI SADANAND SHET TANAWDE (Goa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. सर, इसके पहले मैं अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपने लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से मुझे इस सदन में आने का और बोलने का मौका मिला। मैं अपने राज्य के मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। I extend my gratitude to respected Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, who has been the guiding light in this journey.

सर, मुझे इस हिस्टोरीकल बिल की चर्चा में भाग लेने का अच्छा मौका मिला है। It is noteworthy to mention that this Bill proposes to amend 183 provisions in 42 Central Acts administered by 19 Departments covering various domains, such as environment, agriculture, media, industry, trade, IT, copyright, motor vehicles, cinematography, food safety, the Indian Coastal Act and many more.

As a great step to achieving Ease of Doing Business, the Bill will decriminalize minor offences that do not involve any harm to the public interest or national security and replace them with civil penalties or administrative actions. Sir, this Bill will remove imprisonment clauses and fines in some provisions and convert them into penalties in some others. The penalties will be determined by adjudicating officers appointed by the respective departments. The Bill will ensure that offenders can settle their cases by paying certain amount without going through a court trial. The Bill will provide for a periodic provision of fines and penalties once in every three years with an increase of a minimum of 10 per cent amount of various offences in the specified Acts which will ensure proper enforcement. By introducing administrative adjudication mechanism, the Bill will reduce pressure on justice delivery system and help in reducing case pendency. This Bill will facilitate more efficient and effective justice dispensation. The Bill will foster trust-based governance by ensuring citizens, businesses and Government departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. This Bill, especially for my State of Goa, will be a game-changer. With the guidance of our Hon'ble Prime Minister, our State is emerging as a vibrant investment destination and is leading among small States and UTs in terms of Ease of Doing Business.

I am thankful to the Hon'ble Commerce Minister. सर, मुझे याद है, जब दो महीने पहले हमारे मिनिस्टर साहब गोवा में आये थे, उस टाइम हमने intellectuals and industrialists की मीटिंग रखी थी। I was a part of that meeting. मिनिस्टर साहब ने सभी को सुना और सभी industrialists ने उनको बताया कि यह-यह प्रॉब्लम है। उसमें एडिटर्स भी थे। सबकी बातें सुनने के बाद मिनिस्टर ने बोला कि किसी को और भी कुछ बोलना है, तो सदानंद के पास लिखकर दीजिए और दो महीने के बाद मैं राज्य सभा में पहुंचा हूं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

I conclude my submissions and, once again, I support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. Thank you.

[The VICE-CHAIRMAN (Shrimati P.T. Usha) *in the Chair*.]

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Thank you, Madam Vice-Chairperson for giving me the opportunity to participate in the discussion on this important Bill,

namely, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. I also congratulate the hon'ble Minister, Shri Piyush Goyal, for bringing this Bill in a comprehensive and consolidated manner.

Madam, I rise to support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, which aims to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Under this Bill, 183 provisions in 42 different Acts under the ambit of 19 different Ministries proposed to be decriminalized. Therefore, ordinary citizens and businessmen can carry out their activities without unnecessary fear. It is further reported that the Bill is aiming to rationalise 110 provisions, across 35 Acts, which are administered by 15 different Ministries/ Departments. The rationalisation will include simplifying and digitisation of compliances.

The Bill was referred to a 31-member Joint Committee of Parliament in December, which presented its Report on 20th March, 2023. The Bill was introduced in the Lok Sabha on 22nd December, 2022 and was referred to the Joint Committee of Parliament. The main objective of the Bill is to decriminalize minor offences that do not involve any harm to the public interest or national security. It helps to achieve the target of enhanced trust-based governance, increasing the ease of living and ease of doing business across the country. The Modi Government believes that Indians are honest and they live their life and conduct their business honestly. The Government does nothing to penalise its citizens and small and medium businessmen for small mistakes. This Bill reflects our hon'ble Prime Minister Modi Ji*'s* vision of 'Minimum Government and Maximum Governance'.

Madam, the MSME's are the backbone of the Indian economy and contribute significantly to the GDP. For these enterprises, to make a shift to the formal sector and generate jobs and income, there must be effective and efficient business regulations in place that eliminate unnecessary red-tapism.

This Bill proposes decriminalisation of 180 offences across 42 laws, governing environment, agriculture, media, industry, trade, and publication, etc. The Bill seeks to remove imprisonment clauses and/or fines in some provisions and convert them into penalties in some others. Madam, the Bill also introduces compounding of offences in some provisions, which means that the offenders can settle their cases by paying a certain amount without going through a court trial. The Bill reduces pressure on the justice system and helps in reducing case pendency and facilitates a more efficient and effective justice dispensation.

Madam, in the past eight years of the Modi Government, the Government has repealed approximately 1,500 redundant laws, simplified approximately 39,000 compliances and decriminalised approximately 3,500 minor offences, which has been a game-changer in improving the lives of ordinary citizens and small businessmen. The focus of the Modi Government is on removing fear from the minds of small businessmen. Such Acts, which decriminalise offences for minor mistakes, take fear out of our small businessmen and traders and boost their growth. I am sure, this legislation would serve as guiding principle for future amendments in various laws.

Madam, by bringing this Bill, the Government is bringing in the concept of *'Janvishwas'* by reposing faith in the people of the country and removing compliances, burdens, and decriminalising very minor offences. The Government believes that the Indians are honest and live their life and conduct their business honestly. Therefore, the Modi Government does not want to penalise its citizens and small and medium businessmen for small mistakes.This is as per Shri Narendra ModiJi's vision of 'Minimum Government and Maximum Governance'. The mantra of 'trust-based governance, based on ease of living and doing business' will bring even more prosperity to the country.

Madam, with these words, I support this Bill and thank the Chair for giving me the opportunity to speak on this important Bill.

Thank you.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Thank you, Madam, for giving me the opportunity. I am very happy to see a person from the sports fraternity in the Chair; I congratulate you. I rise to support the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. As you all know, our visionary leader, Narendra Modiji, took over in 2014. He has one cardinal principle, which he enunciated among the people of this country, which is, 'Minimum Government and Maximum Governance'. But this 'Minimum Government and Maximum Governance' is not just a slogan. Over the last nine years, he has pursued, he has taken all kinds of reforms, including the judicial reforms, social reforms and administrative reforms by which a fruitful governance has been given to this country. In 2014, we were at the tenth position in the world ranking of emerging economies; today, we are at fifth position in the ranking of emerging economies; and, within next five years, under the visionary and able leadership of Narendra Modiji, we will become one of the three emerging economies, and the most prosperous economies of the world. Madam, under his leadership, this country has reached to this position. Number one, if we analyse, in 2013, in terms of Ease of

Doing Business, we ranked 132 among 185 countries. But, by 2020, we reached at the 63rd position. Yes. After that, rankings were discontinued. But, today, we may be in one, two or third position as far as reforms are concerned. Madam, how has it been done? It has been done by reducing the deterrents of our progress, our blockades. How has it been done? I congratulate the Hon'ble Minister for bringing forward this revolutionary Bill for Ease of Doing Business and taking the country forward. The Bill proposes to amend 183 provisions in 42 Central Acts administered by 19 Ministries and Departments. Now, these deterrents have been removed. The main objective of the Bill is to decriminalise minor offences. This is one deterrent that has been removed by this Bill. This Bill was needed to reduce the undue pressure on the judicial system; to create a fair way to decide how strong the punishment should be for wrongdoing based on how serious the offence is.The Bill also plays an important role in the Government's aim of achieving 'Minimum Government, Maximum Governance.' The key highlights of the Bill are amendment in 42 Acts. Some key laws include the Indian Forest Act, 1927; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; the Information Technology Act, 2000; the Environment (Protection) Act, 1986; the Copyright Act, 1957; the Patents Act, 1970; the Railways Act, 1989; and the Food Safety and Standards Act, 2006. Now, how has the decriminalization been done? The Bill decriminalizes certain offences by replacing imprisonment with monetary penalties, instead of a fine. Offences under the Information Technology Act, 2000, can lead to imprisonment or fine. The Bill introduces a penalty of up to Rs.25 lakhs. Offences under the Patents Act, 1970, involving falsely represented articles face a fine; the Bill replaces it with a penalty of up to Rs.10 lakhs. The Bill has, rightly, incorporated the suggestions of the Committee. As has been mentioned by some Hon'ble Members of the Joint Committee, Committee's suggestions have been incorporated in this Bill. So, I am not going to repeat that. I only want to highlight one point that the fines and penalties for various offences in the specified Act will be increased by 10 per cent of the minimum amount every three years. The Bill also introduces compounding of offences in some provisions. So, the offenders can settle their cases by paying a certain amount without going through the court process. There are other provisions which can be appreciated, like the appointment of adjudicating officers.

Now, what are the benefits of the Bill? This Bill has brought judicial reforms in a very indirect system; like, with over 5.02 crore court cases pending in India, the highest in the world, this Bill would help in reducing case pendency to some extent and facilitate a more efficient and effective justice dispensation. The Bill, also being

referred to as the 'Ease of Business Bill', will foster trust-based governance by ensuring that citizens, businesses and the Government Departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. It would accelerate investment decisions due to smoother processes and attract more foreign investment.

Madam Vice-Chairperson, there are some other suggestions on the Bill. I am not going to repeat them, but I would very well express some of my concerns about the Bill, which the Hon'ble Minister would enlighten us about and tell us how this Bill would overcome these. The first issue is, omission of offences under the Act. The Bill removes certain offences from the Act. The offences committed by officials of Post Office like theft and fraud are being omitted. The relevance of these omissions to the Bill's intent is unclear. I hope the Hon'ble Minister would throw some light on this. The second and most important provision is 'privacy concern' from these omissions. The offences related to illegal opening of postal articles are being removed by the Bill. The postal articles are given in confidence, in trust, but if they are opened, the privacy doesn't remain. Privacy issues could arise due to the removal of these provisions. Personal data such as health insurance and credit card information may be compromised. Removal of these safeguards might contradict the Right to Privacy recognized by the Supreme Court. Existing laws like the Indian Penal Code do not cover these violations without theft or misappropriation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Time is over.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, I congratulate the Hon'ble Minister for bringing this revolutionary Bill. I hope he would address my concerns. Thank you very much.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस जेपीसी का मेम्बर था, जिसमें यह बिल विचार के लिए भेजा गया था। उस कमिटी ने इस बिल के ऊपर जितनी भी सिफारिशें की थीं, भारत सरकार ने उन सबको स्वीकार करके हमारे सामने इस बिल को रखा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं, यह जो बिल लाया गया है, इसके पीछे हमारे शास्त्रों की एक बहुत बड़ी सूक्ति है और वह सूक्ति है -

न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः
धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ।।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक और हम, एक-दूसरे पर विश्वास करें, विश्वास के आधार पर हमारे काम चलें, इसीलिए इस बिल का नाम 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' रखा गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि यह एक क्रांतिकारी बिल है। मैं 1980 से संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन करने वाला एक छात्र रहा हूं और मैंने आज तक यह नहीं देखा कि कभी एक ही बिल में 19 डिपार्टमेंट्स के 42 कानूनों में 183 संशोधन हुए हों। भारतीय संसद के इतिहास में यह सबसे बड़ा बिल लाया गया है और इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जेपीसी की मीटिंग में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपना डिस्सेंट नोट लगा दिया, वे इस बात का ध्यान कर लें कि भारत में ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने तीन बार लगातार प्रधान मंत्री पद की शपथ ली है- एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे अटल बिहारी बाजपेयी जी और अब तीसरे श्री नरेन्द्र मोदी जी होंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपथ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे लम्बा प्रधान मंत्री पद पर रहने का कार्यकाल है, उसको भी पार करेंगे और सबसे लम्बे समय तक भारत के प्रधान मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम लिखा जाएगा।

सर, यह बिल ऐसा क्यों है? यह ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस बिल में कोर्ट्स में जो 4 करोड़, 30 लाख मामले लम्बित हैं, उनमें केवल 3.2 करोड़ मामले ऐसे हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, बाकी मामले आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन उनका criminalization किया हुआ है, वे इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, केवल एक Motor Vehicles' Act है, जिसके 87 लाख मामले हैं, उनको आराम से निपटाया जा सकता है। यह बिल आपराधिक मामलों को कम करेगा। यह केवल व्यापार करने वालों के लिए नहीं है। उपसभापति महोदय, यह बिल ऐसे काम कर रहा है कि जो रेलवे में भीख माँगता है, उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसको यह बिल समाप्त कर रहा है। यह बिल इस बात को समाप्त कर रहा है कि एक गड़रिया जब अपनी बकरी लेकर जाता है और भूल से वह बकरी अगर वन विभाग के क्षेत्र में घुस जाती है तो उसके लिए उसको पाँच साल की सज़ा है, तो यह उस गड़रिये को भी लाभ देने वाला बिल है। इस बिल में इसी प्रकार के बहुत से प्रावधान हैं, जो केवल ease of doing business ही नहीं, बल्कि ease of living के लिए भी हैं। ...(**व्यवधान**)... जी हाँ, बकरी वाले को भी 5 साल की सज़ा है। इसी प्रकार, एक पोस्टमैन, जो डाक लेकर आता है, अगर भूल से उसने इस घर के बजाय उस घर में डाक दे दी या भूल से कोई गलती कर दी, कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ...(**व्यवधान**)... जी हाँ, पोस्टमैन को, डाकिये को भी सज़ा का प्रावधान है, इसलिए इसमें उसको भी हटाने का प्रावधान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वास्तव में यह एक क्रांतिकारी बिल है, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक बिल है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कारावास और जुर्माने वाले ऐसे 42 प्रावधान हैं। ये 42 प्रावधान ऐसे हैं, जिनसे कारावास भी हट जाएगा और जुर्माना भी हट जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे तीन प्रावधान हैं, जिनमें से कारावास हट जाएगा। मैंने गड़रिया, पोस्टमैन और भिखारी का उदाहरण देकर बताया। एक भिखारी, जो रेल में भीख माँगता है, उसको भी दो साल की सज़ा! वन विभाग के क्षेत्र में जिसकी बकरी घुस जाए, उसको 5 साल की सजा! इस प्रकार की जो सजाएँ थीं, ऐसी तीनों सज़ाएँ समाप्त कर दी गई हैं। इसी प्रकार, जुर्माने के जो प्रावधान हैं, वे 10 में बिल्कुल हट जाएँगे। फाइन और पेनल्टी में फ़र्क है। जो जुर्माना फाइन के रूप में है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बजाय, अब अगर पेनल्टी कर देंगे तो जो अधिकारी है, वह इस काम को पूर्ण कर देगा, यह हट जाएगा। इसी प्रकार, कारावास को दंड या पेनल्टी में दो स्थानों पर परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार, जुर्माने को दंड में 18 स्थानों पर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार, इसमें 183 प्रावधान किए गए हैं और उन 183 प्रावधानों से हमें लाभ मिलेगा।

उपसभापति महोदय, हमारे यहाँ एक सूक्ति है कि '*विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव नरेन्द्रता।*' जो आदमी विक्रम, बुद्धि से अपना काम करता है, वह स्वयमेव नरेन्द्रता हो जाता है। एक मृगेन्द्रता होता है, दूसरा नरेन्द्रता होता है। नरेन्द्र मोदी जी नरेन्द्रता हैं, उनका प्रभुत्व इन्हीं कामों के कारण बढ़ा है कि वे अपने विक्रम से, अपने पौरुष से इस प्रकार के कदम उठाते हैं और इससे बड़ा ऐतिहासिक काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर, आपकी उंगली घंटी की ओर जा रही है?

श्री उपसभापति : आपके छः मिनट हो गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, उसमें विक्रम नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानूनों को समाप्त करने का जो काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है, यह बहुत ही अच्छा है। चूंकि माननीय गोयल साहब इस पर पूरा बोल चुके हैं, इसलिए अब इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि यह बिल एक क्रांतिकारी कदम है, ऐतिहासिक कदम है और अपराधों को कम करने की स्थिति में है। यह जनता में विश्वास प्रकट करने के लिए है और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ!

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) **:** महोदय, मैं 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' का समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने इस बिल के बारे में हाउस को संबोधित किया, मुझे लगता है कि हाउस में हर मेम्बर को इस बिल के बारे में स्पष्टता से समझ आ चुका है।

सर, मैं गाँव से आता हूँ, बहुत-से लोग गाँव से आते हैं। हमें छोटी उम्र में ही सिखाया जाता है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है। स्वाभाविक तौर पर, कुछ लोग बिजनेस कौम से होते हैं, जिनके परिवार में बिजनेस किया जाता है, किंतु हम जो साधारण गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि आपको तो पढ़ाई करके यही बनना है। चूँकि मेरे पिताजी को पता है कि फैक्टरी एक्ट में यह सब लिखा हुआ है, इसलिए मेरा बेटा

अपने जीवनकाल में यह नहीं कर सकता है और बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। आज मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वे हाउस के मेरे नेता भी हैं। आप एक ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो या लड़की, गाँव का हो या शहर का, नए तरीके से सोच सकता है कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सर, इससे एक हिम्मत आती है। कोई बिजनेस करने के लिए बोल देता था और चार दोस्त मिलकर फैक्टरी लगाने के लिए एक लोन के लिए एप्लाई कर देते थे लेकिन इसमें भी 1,500 कानून थे, जिन्हें पूरा करने में दो साल भी लग जाते थे। इसके बाद भी वे डर के साथ बिजनेस में जाते थे। जब कोई नौजवान डर के साथ बिजनेस में जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर, उसका फेलियर होना निश्चित है। जब ऐसे लोग नए बिजनेस के लिए फैक्टरी लगाकर काम करने के लिए जाते थे, उनकी हिस्ट्री ऐसा ही कहती थी। इसका सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद देखा जा सकता है कि अगर किसी ने नए तरीके से बिजनेस करने की कोशिश भी की थी, तो इन सब कानूनों के कारण उनमें से 80 परसेंट अनसक्सेसफुल हो जाते थे। यह इंस्पैक्टर राज था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी, देश के स्वाधीन हो जाने के बाद भी कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लगभग 65 साल शासन किया है। वे बोलते थे कि गरीब को बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया। मुझे दुख है कि वे सिर्फ बोलते हैं। मैं गाँव से आता हूँ, मैंने भी बहुत नारे सुने हैं। वे बोलते रहते हैं कि गरीब के लिए यह होना चाहिए, किसान के लिए यह होना चाहिए। मैंने भी कितने ही नारे सुने हैं, किन्तु किसी को किसान के लिए करना है, तो मोदी जी को करना है, गरीब के लिए करना है, तो मोदी जी को पीयूष गोयल जी के मंत्रालय के माध्यम से करना है। पीयूष जी, जब आप इस बिल को पढ़ रहे थे, तब आप बहुत फीलिंग के साथ पढ़ रहे थे। मैं आपका चेहरा देख रहा था। मैं तो इस हाउस से सीखता रहता हूँ। आपका चेहरा बोल रहा था कि आप किसी सोच के साथ कुछ करने जा रहे हैं। आप इस हाउस में मैकेनिकल मानसिकता के साथ नहीं आए थे, बल्कि एक फीलिंग के साथ आए थे। जब इस फीलिंग के साथ कोई बिल लाया जाता है, तो वह सक्सेसफुल ही होता है और यह इस देश में नरेन्द्र मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। यह प्रमाणित है कि इसका नाम जन विश्वास है और यह नाम ही नहीं, बल्कि और भी नाम हैं। एक 'आयुष्मान भारत योजना' भी है। हमें कोई बड़ा व्यक्ति, ऋषि, मुनि, गुरुजन आयुष्मान भवः बोलकर आशीर्वाद देता है, तो हम खुश हो जाते हैं। जब किसी बीमार व्यक्ति के साथ 'आयुष्मान भारत' का नाम चलता है, तब उसकी आधी बीमारी तो इसके नाम से ही दूर हो जाती है। 'नमामि गंगे' भी इतना सुंदर नाम है कि गंगा तो नाम से ही शुद्ध हो जाती है। इसी तरह से इसका नाम भी जन विश्वास रखा गया है। जब हमारे गाँव के छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं कभी टाटा बनाऊँगा, मैं कभी रिलायंस बनाऊँगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उनके मन में यह विश्वास आएगा कि यह कानून नहीं है, यह जुर्माना नहीं है, अब जेल नहीं हो सकती है और हम यह काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं एवं हम यह काम सफलता के साथ कर सकते हैं - यह इस बिल में दिखाई दिया है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बिल पढ़ा है। घनश्याम जी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाया कि इसमें सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं है, बल्कि मानवता की भी बात है। इसमें Ease of Doing Business जरूर है, इसके साथ-साथ, हमारी जीने की पद्धति अच्छी हो, Ease of living हो, यह भी इसके साथ जोड़ा गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को

धन्यवाद दूँगा कि आपने Ease of Doing Business के लिए ऑलरेडी 'One Nation, One Ration Card' लागू कर दिया है। आपने जन-धन, आधार और मोबाइल की त्रिवेणी लागू कर दी है। आपने कॉमन सर्विस सेंटर्स को लागू कर दिया है। आपने 'आरोग्य सेतु' और CoWIN को भी लागू कर दिया। ये हमारी जीवन शैली को सहजतर करते हैं और आज यह भारत में प्रमाणित हो चुका है। मैं आपको इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इसके साथ ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्री पीयूष गोयल जी को इस बात के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने गरीब के लिए सोचा, आप लोगों ने किसान के लिए सोचा, आपने उस बच्चे के बारे में सोचा, जिसको उसका पिता कॉलेज जाने के लिए एक बाइक खरीदकर देता है। इस बिल में आपने एक तरफ इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, तो दूसरी तरफ एक पशु चराने वाले के बारे में भी सोचा है, जो आपकी मानवता की दृष्टि को दिखाता है। यह बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज आप इसको लेकर आए हैं, इसमें देर हुई, किन्तु आप एक ऐसा बिल लाए हैं, जिसके लिए आपको एक कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में दुनिया याद रखेगी और माननीय प्रधान मंत्री जी का तो आज दुनिया लोहा मानती ही है। महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय बिप्लब कुमार जी। अब माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी जवाब देंगे।

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति जी, इस बिल पर वास्तव में बहुत ही अच्छे-अच्छे वक्तव्य आए हैं और काफी सूचनाएँ आई हैं। इस चर्चा में हमारे कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें श्री घनश्याम तिवाड़ी, बिप्लब कुमार देब जी, नरसिंहा राव जी तथा कई अन्य माननीय सदस्य शामिल हैं। इस चर्चा की शुरुआत सुजीत कुमार जी ने की।

मैं सबसे पहले राज्य सभा के उन 10 माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस कमिटी में थे। वास्तव में, इस कमिटी में सभी 31 सदस्यों ने बहुत बढ़िया काम किया, पर चूंकि अभी मैं राज्य सभा में हूँ, इसलिए मैं माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी, माननीय जी.वी.एल. नरसिंहा राव जी, माननीय महेश जेठमलानी जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विवेक तन्खा जी, श्री सुखेन्दु शेखर राय जी, कनिमोझी एनवीएन सोमू जी, श्री नारायण दास गुप्ता जी, श्री सुजीत कुमार जी और श्री मस्थान राव बीडा जी, इन सभी के contribution को तहेदिल से acknowledge करना चाहता हूँ। इस कमिटी की रिपोर्ट बहुत ही लाजवाब थी। मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी रिपोर्ट और इतने अच्छे सुझाव कम ही देखे हैं। यह बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई। मुझे इसमें लगभग सभी का एकसार दिखा कि यह काम आगे भी चलते रहना चाहिए, राज्यों को भी इस काम में जोड़ा जाना चाहिए और राज्यों को भी इसमें और पहल करनी चाहिए। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ।

सर, मैं यहाँ पर दो विषयों को रखना चाहूँगा। एक बात तो यह कि इस कमिटी ने हमें एक बहुत अच्छा सुझाव यह भी दिया कि हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएँ, जो de-criminalisation के इस काम को आगे चलाता रहे। सुजीत जी, घनश्याम जी, नरसिंहा राव जी, बीडा जी, आप सब लोग

उसमें थे। मुझे आपका यह सुझाव बहुत ही बेहतरीन लगा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, जो सब कानूनों को देखता रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी रिपोर्ट आने के बाद हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जो इस काम को आगे चलाता रहेगा। कई अन्यान्य डिपार्टमेंट्स, जैसे NITI Aayog, Reserve Bank, NABARD, National Housing Bank, NPCI, Pollution Control Board और FSSAI से जुड़े करीब 22 कैटेगरीज़ के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें लीगल प्रोफेशनल्स, प्राइवेट प्रोफेशनल्स, सरकारी अधिकारी तथा कई chambers of industries को जोड़कर हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जो इस काम को आगे बढ़ाता रहेगा। इसके साथ-साथ, स्टेट्स के साथ भी हमारी चर्चा शुरू हुई है, जैसा कि माननीय विजयसाई रेड्डी जी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि वे भी ऐसी similar exercise करें। उनका यह अच्छा सुझाव था कि हम भी उनको कुछ गाइडलाइंस, कुछ गाइडेंस तथा कुछ सपोर्ट दें और केन्द्र एवं राज्य मिलकर यह परिवर्तन करें।

इसके अलावा, हमारे समक्ष एक अच्छी बात यह आई कि कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह बात शायद विजयसाई रेड्डी जी या तंबी दुरै जी ने कही है कि प्रावधान में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय हो कि सबको इसकी सूचना एक ही जगह पर सरलता से मिल सके। उपसभापति जी, मुझे आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने एक National Single Window System स्थापित किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई उद्योग चलाना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, कोई नया काम शुरू करना चाहे, तो उसके लिए वह उस सिस्टम में Know Your Approvals सेक्शन पर जाकर इस बारे में बताए। मान लीजिए, वह बताता है कि मुझे चमड़े का कारखाना शुरू करना है। जैसे ही वह बताता है, हम उस नेशनल सिंगल विंडो के ज़रिये उनको गाइड करते हैं कि आपके ऊपर कौन-कौन से कानून और कौन-कौन से प्रावधान लागू होंगे, फिर उसके हिसाब से आप उस सिंगल विंडो के ऊपर approvals के लिए भी apply कर सकते हैं। हमने स्टेट्स को भी आमंत्रित किया है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि कई स्टेट्स इसमें जुड़े हैं। देश के लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ राजनीति को छोड़ कर, राजनीति से ऊपर उठकर इसमें जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र, राज्यों, कॉर्पोरेशन और पंचायतों यानी देश भर की परमिशन एक ही जगह पर आ जाए, जिससे renewals भी आसान हो, ड्यूटीज़ की या एप्लीकेशन की कोई पेमेंट करनी हो, तो वह भी आसान हो। प्रधान मंत्री मोदी जी ने National Single Window जैसा एक revolutionary step इंट्रोड्यूस किया है। हमें मार्गदर्शन दिया है कि यह कैसे बनना चाहिए, कैसे लोग सरल तरीके से अपना काम कर सकें ताकि हमारे माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी के कहे अनुसार इस देश में और अधिक लोग प्रोत्साहित हों। वे start-ups की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में उद्योजक बनें, job-givers बनें, job-providers बनें, job-seekers ही न बनें। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे न भागता रहे। लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़े कि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, आज हमारे युवा व्यक्तियों का enterprise देखकर हैरानी होती है। आज हमारे start-ups की दुनिया में आईआईटी मद्रास में स्पेस रॉकेट तक बन रहे हैं। सर, एक व्यक्ति ने मुम्बई में डोसा बनाने का काम शुरू किया। वह इतना स्वादिष्ट डोसा बनाता है कि वह उसे 300 रुपये में बेचता है। वह इतना

स्वादिष्ट बनाता है कि उसके डोसा को खरीदने के लिए वहां लाइन लगती है। उसका सामान खत्म हो जाता है, लेकिन डिमांड खत्म नहीं होती। आज देश में युवा व्यक्ति नए-नए प्रयोग से अलग-अलग प्रकार से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए हर्ष की बात है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज़रूर यहां सबको अवगत कराना चाहूंगा कि कमिटी ने 8 रिकमंडेशंस दीं, वे सभी रिकमंडेशंस लाजवाब थीं। कमिटी ने रिकमंड किया कि 8 और प्रोविज़ंस को सम्मिलित किया जाए। हमने 5 एक्ट्स की सभी 8 रिकमंडेशंस को accept कर लिया और सभी 8 प्रोविज़ंस को भी decriminalize किया। साथ ही साथ कमिटी ने 7 रिकमंडेशंस दीं, जिनमें उसका सुझाव तो है कि इसमें decriminalize किया जाए, लेकिन हमें लगता है कि इन 7 में अभी न करें। इसलिए हमने इस बिल में उन सातों पर अभी नहीं किया है। इस पर और स्टेकहोल्डर्स से कंसल्टेशन करेंगे, कमिटी के मेम्बर्स से भी चर्चा करेंगे। यह वर्किंग ग्रुप इस पर और चिंता करेगा, फिर अगर लगेगा कि ये लाने लायक है, तो अगले बिल में ले आएंगे। 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023' एक शुरुआत है, अंत नहीं है। यह पहला प्रयास है, आगे ऐसे बहुत सारे प्रयास होंगे। हमने कमिटी की रिकमंडेशंस की इज्ज़त करते हुए इस बिल से सातों को हटा दिया। मैं कमिटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन ऐसे प्रावधान थे, जिसमें उन्होंने कहा कि quantum of penalty को बढ़ाया जाए। उनको लगा कि हमने जो रखा है, वह अभी भी कम है, deterrent नहीं बनेगा। लोग इसके कारण शायद फिर भी गलती कर सकते हैं या बार-बार गलती कर सकते हैं। हमने कमिटी की तीनों रिकमंडेशंस को accept कर लिया है। माननीय उपसभापति महोदय, सिर्फ एक ही रिकमंडेशन ऐसी है, जिसे कानूनी विशेषज्ञ और कानून डिपार्टमेंट से सलाह-मशविरा करने के बाद हम accept नहीं कर पाए। अगर आप मुझसे पूछें तो वह एक अच्छा सुझाव था। सुझाव यह था कि retrospective amendments को retrospective effect दे दिया जाए। इससे सीधे एक करोड़ केसेज़ कम हो सकते थे। उनका सुझाव था कि अगर इन सभी को retrospective amendment दे दें --आप देखिए कमिटी कितनी सूझ-बूझ से काम कर रही थी, इसमें लिखा था, 'Government may look into the legalities and other consequences of giving retrospective effect, and, if feasible, retrospective effect may be given to the proposed amendments.'

7.00 P.M.

उसको आप पार्लियामेंट में कानून पास करके बाहर नहीं निकाल सकते। अब जब हमने कानून पास कर दिया है, तो मुझे विश्वास है और मैं पूरे सम्मान के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो सम्माननीय जज हैं, जब वे यह देखेंगे कि कानून में बदलाव होने से इनको डिक्रिमिनालाइज़ कर दिया गया है, तो जो एक करोड़ ऐसे केसेज़ हैं, जो इसके दायरे से बच सकते थे, शायद कोर्ट ही उनका संज्ञान लेते हुए इनको जल्दी निपटा देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा यह उनके विवेक पर निर्भर करता है, उनके पास पूरी पावर्स हैं कि इसका क्या करना है। उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बातें बताना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे दुख है और मैं

एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे दुख क्यों हुआ? कई बार हम कमेटी के काम में भी राजनीतिकरण करते हैं। वैसे तो ओवरऑल कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। कमेटी के दो मेम्बर्स ने, एक कांग्रेस के मेम्बर थे और एक डीएमके के मेम्बर थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो मानसिकता है कि यह सरकार का है, तो इसको अपोज़ करना है, यह बात मैं आपके माध्यम से सदन और देश के समक्ष रखना चाहता हूं। सर, दोनों पार्टीज़ के माननीय सदस्यों ने कहा कि आप Food Corporation Act में जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, वह नहीं किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदस्यों के सामने बताना चाहता हूं कि उस एक्ट की कहानी क्या है? Food Corporation Act मेरे जन्म के वक्त 1964 में बना था। लगभग 60 साल हो गए हैं और मैं भी सीनियर सिटिज़न हो जाउंगा। इस 1964 के एक्ट में एक प्रावधान है कि सेक्शन 41 कहता है कि 6 महीने की सजा होगी, अगर कोई व्यक्ति Food Corporation of India का नाम बिना उसकी अनुमति के लेता है - केवल इतनी ही बात है। अगर कोई व्यक्ति FCI का नाम उनकी अनुमति के बगैर लेता है, तो 6 महीने की सज़ा हो सकती है। आज तक 59 सालों में इस प्रावधान का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ और हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसको डिक्रिमिनलाइज़ नहीं करना है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए दिया, क्योंकि हम कमेटी में राजनीति से कभी प्रेरित नहीं होते हैं। मैं भी विपक्ष के नाते कमेटी में रहा हूं। हमने always constructive suggestions दिए हैं। उसमें विपक्ष के कई सदस्य भी थे और उन्होंने कई अच्छे सुझाव भी दिए। दोनों तरफ ट्रेज़री बेंच और विपक्ष ने भी दिए, लेकिन जब इस प्रकार की मानसिकता दिखती है, तो अवश्य दुख होता है। हम इस कानून में High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act को repeal करने का प्रावधान लाए हैं। अब वह बात खत्म हो गई है। उसमें भी failure to furnish records, failure to give information जैसे प्रावधान थे। एक तरफ तो विपक्ष ने सालों-साल हमारी और माननीय प्रधान मंत्री जी की आलोचना की, जब हमने देश हित में high denomination currency notes को demonetise किया और अब कह रहे हैं कि उसमें जो क्रिमिनल प्रावधान है, उसको मत हटाइए, उसको रखिए! मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि उनकी मंशा क्या है! क्या वे demonetisation के पक्ष में हैं! शायद इतने वर्षों में कांग्रेस का भी मन बन गया हो कि Demonetisation पी.एम. साहब लाए थे, सरकार लाई थी, वह देश के हित में था, देश के लिए अच्छा था। अगर वे यहां दर्शा रहे हैं, तो मैं अवश्य उसका स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ जानकारी हेतु एक विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि डिफेंस का एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। एक मिनट में वह एक्ट निकालता हूं, वह बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, मुझे मालूम है कि देर हो गई है और सब घर जाना चाहते हैं। माननीय उपसभापति जी, Cantonment Act में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति usage of material of non-degradable nature, including polythene bag, का इस्तेमाल करता है और उसके साथ एक-दो और छोटी चीज़ें हैं, resignation without permission या absence from duty by *safaikaramchari*. अब अगर कोई बीमार हो गया, तो पहले बीमारी का इलाज करवाएगा या कैन्टोनमेंट बोर्ड को देगा कि मैं आज काम पर नहीं आ सकता हूं। हमने ऐसे छोटे प्रावधान डिक्रिमिनलाइज़ किए हैं। माननीय उपसभापति जी, अब आप

बताइए कि कोई अगर कैन्टोनमेंट के एरिया में कुछ सामान लेते हुए जा रहा हो, उसको कैसे मालूम होगा कि मेरा बैग बायो डिग्रेडेबल मैटिरियल का है या नहीं। क्या यह संभव है? हम उसको डिक्रिमिनलाइज़ करते हैं, तो कुछ माननीय सदस्यों को उसमें भी दिक्कत होती है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अवश्य दिल को दुख होता है और मैं समझता हूं कि सरकार इन प्रावधानों में बहुत सोच समझकर बदलाव लाई है और सबकी सहमति से लाई है। मेरा विश्वास है कि इसका लाभ देश के सामान्य व्यक्ति को, जो माननीय तिवाड़ी जी, बिप्लब जी, सुजीत जी, बीडा जी से लेकर सभी ने कहा कि देश के सामान्य लोगों को इसका लाभ होगा।

अंत में, मैं खुद का एक अनुभव बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। सर, मैं जब 17 वर्ष का था, तब मैंने एक छोटी फैक्टरी लगाने का काम शुरू किया। वह 1980 का दशक था, तब एक ऐसी सरकार थी, जिसके 400 से अधिक सांसदों को चुनकर देश की जनता ने भेजा था। उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, बड़े उत्साह से एक युवा प्रधान मंत्री ने बड़ी-बड़ी बातें कही थीं, युवा प्रधान मंत्री ने of course यह भी कहा था कि मैं तो इतना निहत्था हूं कि मैं 100 रुपये भेजता हूं, तो सिर्फ 15 रुपये गरीब तक पहुंचते हैं और 85 रुपये तो दलाल, भ्रष्टाचारी और बिचौलिए ले जाते हैं। उस समय की यह बात आपको याद होगी। तब मैंने साहस किया कि अगर एक युवा प्रधान मंत्री कह रहा है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करने वाला हूं, तो मैंने भी एक छोटी सी फैक्टरी 19 लाख, 80 हजार रुपये की लगाई थी। सर, यह अलग बात है कि 2,930 वर्गमीटर की जमीन खरीदने के लिए 93-94 टाइम्स मुझे एमआईडीसी के ऑफिस के धक्के खाने पड़े। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां पर 1982-83 में एमआईडीसी (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) काम करता था। मुझे 93 या 94 टाइम्स जाना पड़ा, मैं भी भूल रहा हूं, क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है। मैंने 17-18 साल की आयु में एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए 93-94 बार धक्के खाये थे। उसी समय की मुझे यह बात भी याद है, मुझे पता भी नहीं था कि कोई Collection of Statistics Act होता है। तीन-चार साल तक वह statistics नहीं भरे थे, तो मुझे याद है कि उस समय जिस तरह से मेरा हरैसमेंट हुआ था, जिस प्रकार से मुझे तंग किया गया था, जिस प्रकार से बार-बार उस Collection of Statistics Act के अंतर्गत अधिकारी आते थे, taunt करते थे कि आपने statistics नहीं दिया है। अब statistics नहीं देने का तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, आपको तो अब जेल जाना पड़ेगा। आप सोचिए, छोटी आयु में जेल का डर कितना होता होगा। यह बात अलग है कि आज एक नेता जो अपने आपको परमानेंटली युवा नेता मानते हैं, वे एक पूरे समाज की इन्सल्ट कर देते हैं, लेकिन एक छोटी माँफी मांगने में उनको ऐंठ आती है। वह मानसिकता अलग है, परंतु हम माफी तो क्या, उसके पैर छूने के लिए तैयार थे कि साहब गलती हो गई, मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे statistics देनी हैं। लेकिन मुझे उस समय ज़लील किया गया, harass किया गया, जेल की धमकी के नाते उस समय मुझसे गलत काम भी करवाए गए थे। मैं समझता हूं कि मुझे आज Collection of Statistics Act में वह प्रावधान निकालने का यह सौभाग्य प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, इसके लिए मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। Now, the question is:

"That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 1) by Dr. V. Sivadasan. He is not present. Amendment not moved.

Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Schedule, there is one Amendment (No. 2) by Dr. V. Sivadasan. Not present. Amendment not moved.

The Schedule was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Som Parkash to move that the Bill be passed.

SHRI SOM PARKASH: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 3rd August, 2023.

The House then adjourned at thirteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 3rd August, 2023.